

प्रेषक,

चन्द्रकान्त पाण्डेय,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

✓ निदेशक (प्रशासन एवं विकास),  
पशुपालन विभाग,  
उ०प्र०, लखनऊ ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-30 नवम्बर, 2015

विषय:-पशुपालन विभाग के अन्तर्गत प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों/वैक्सीन,  
उपकरणों आदि के क्रय हेतु समिति का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-146/क०प्र०से०/क्रय नीति/2015-16  
दि०-04.09.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश  
संख्या-1817/सैतीस-2-2006-33(5)/84 दिनांक 17.05.2006 द्वारा पशुपालन विभाग  
में पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों आदि पर उपयोग में लायी जाने वाली  
औषधियों/वैक्सीन/सर्जिकल उपकरण, तरल नन्नजन पात्रों, कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली में  
प्रयुक्त होने वाले उपकरणों, अतिहिमीकृत वीर्य आदि के क्रय हेतु गठित क्रय समिति  
को संशोधित करते हुये निम्नानुसार क्रय समिति का गठन किया जाता है :-

- |                                                                                                                                         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. निदेशक, पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ                                                                                                   | अध्यक्ष |
| 2. वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ                                                                                           | सदस्य   |
| 3. अपर निदेशक ग्रेड-1(नियोजन), पशुपालन विभाग, उ०प्र०                                                                                    | सदस्य   |
| 4. निदेशक, पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ द्वारा<br>नामित एक विशेषज्ञ                                                                       | सदस्य   |
| 5. औषधियों के क्रय हेतु उक्त क्रय समिति में उ०प्र०<br>औषधि नियंत्रक या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि विशेष<br>आमंत्री के रूप में रखा जाय। |         |

क्रमश:-2...

3- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-1817/सैतीस-2-2006-33(5)/84 दिनांक 17.05.2006 में उल्लिखित शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भरदीय  
(चन्द्र कान्त पाण्डेय)  
विशेष सचिव।

संख्या- 2748(1)/सैतीस-2-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार/लेखा एवं हकदारी (प्रथम)/लेखा अनुभाग, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. अपर निदेशक, बी०पी० संस्थान, पशुपालन विभाग, बादशाह बाग, लखनऊ।
3. अपर निदेशक (गोधन विकास), पशुपालन विभाग, लखनऊ।
4. अपर निदेशक (रोग नियंत्रण), पशुपालन विभाग, लखनऊ।
5. उद्योग निदेशक, उ०प्र० कानपुर।
6. प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन/प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, उ०प्र० पं० दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
7. मुख्य ड्रग कन्ट्रोलर, उ०प्र०, लखनऊ।
8. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
9. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उ०प्र०।
10. उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
12. औद्योगिक विकास अनुभाग-7/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2, उ०प्र० शासना।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(रणविजय सिंह)  
उप सचिव।